जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.–सी.)/फा /प्रे. 1677 दि. 13.03.18

आदेश

विषयः– स्वैच्छिक भार वृद्धि एवं श्रेणी परिवर्तन घोषणा योजना।

निरन्तर विद्युत आपूर्ति, गुणवत्ता में वृद्धि एवं उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा प्रदान के उद्देश्य से **"स्वैच्छिक भार वृद्धि एवं श्रेणी परिवर्तन घोषणा योजना"** लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में "स्वैच्छिक भार वृद्धि एवं श्रेणी परिवर्तन घोषणा योजना" को निम्न प्रावधानों के अनुसार दिनांक 30 अप्रैल, 2018 तक तुरन्त प्रभाव से लागू किया जाता है।

1. समस्त श्रेणी के विद्युत उपभोक्ता जिनका भार स्वीकृत भार से अधिक हैं, ऐसे समस्त उपभोक्ता दिनांक 30.04.2018 तक अपने बढे हुये भार की घोषणा कर सकते हैं।
2. ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने घरेलू श्रेणी में कनेक्शन लिए हैं परन्तु विभिन्न कारगों से अघरेलू श्रेणी में विद्युत का उपभोग कर रहें हैं, ऐसे समस्त उपभोक्ता दिनांक 30.04.2018 तक स्वैच्छिक श्रेणी परिवर्तन की घोषणा कर सकते हैं।
3. स्वैच्छिक भार वृद्वि/श्रेणी परिवर्तन के लिए उपभोक्ताओं को सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कर्यालय में आवेदन करना होगा एवं उनका बढा हुआ भार/परिवर्तित श्रेणी को प्रचलित नियमानुसार सामान्य दरों पर नियमित किया जावेगा।
4. इस योजना के अन्तर्गत 30.04.2018 तक स्वैच्छिक भार वृद्वि/श्रेणी परिवर्तन की घोषणा करने पर सर्तकता जांच नही की जावेगी।
5. ऐसे उपभोक्ता जिनके खिलाफ स्वीकृत भार से अधिक भार उपयोग करने अथवा घरेलू श्रेणी से अघरेलू श्रेणी में उपभोग करने के सतर्कता जांच प्रतिवेदन लम्बित हैं ऐसे लम्बित सतर्कता जांच के प्रकरणों में भी 30.06.2018 तक कोई जुर्माना राशि नही ली जावेगी। ऐसे प्रकरणों का भी स्वैच्छिक भार वृद्वि/श्रेणी परिवर्तन घोषणा योजना के अनुरुप सामान्य दरों पर ही निस्तारण किया जा सकेगा।

उपरोक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे। समस्त क्षैत्रीय अधिकारी उपरोक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से

13.3.18

(एम. आर. मीणा)
अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर